दैनिक भास्कर

पटना, सोमवार, 30 दिसंबर, 2019 | 2

बिना रजिस्ट्रेशन विज्ञापन जारी करने पर रेरा ने 10 लाख का जुर्माना लगाया

सिटी रिपोर्टर | पटना

नियम का पालन नहीं करने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी की कार्रवाई जारी है। प्रोजेक्ट का निबंधन कराने से पहले विज्ञापन जारी करने वाले नीलगीत कंस्ट्रक्शन पर रेरा ने दस लाख रुपए का जुर्माना किया है। रेरा ने स्वतः संज्ञान लेते हुए नीलगीत कंस्ट्रक्शन कंपनी के दो प्रोजेक्ट के खिलाफ यह कार्रवाई की है। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और एसके सिन्हा की बेंच ने अपने आदेश में दो महीने के अंदर जुर्माने की रकम जमा करने के लिए कहा है।